

अतारं विप्रद्वयोऽप्यनोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'उनतीस'


[2/3/2017]


ग्राफटेड / पौधों के मापदण्ड

प्रश्न सं. [क. 2782]

क्र.	पौध	निर्धारित मापदण्ड
1	आम ग्राफटेड	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से उचाई $1\frac{1}{2}$ से $2\frac{1}{2}$ फिट होना चाहिये। बड़ यूनियन से सायन की उचाई 15 से 20 से मी एवं बड़ यूनियन से 10 से मी की उचाई पर तना का औसत व्यास 1.00 से 1.25 से मी के मध्य होना अनिवार्य होगा। बड़ यूनियन के निचले भाग में साइड सूट से मुक्त होना चाहिये। पौधों में साइड ग्राफ्ट, विनीयर ग्राफ्ट के पौधे ही मान्य होंगे। इनार्चिंग पद्धति से ग्राफ्ट किये गये पौधे मान्य नहीं किये जायेंगे। $12'' \times 15''$ की पॉलीथीन बैग।
2	आंवला ग्राफटेड	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से उचाई $1\frac{1}{2}$ से $2\frac{1}{2}$ फिट होना चाहिये। बड़ यूनियन से सायन की उचाई 15 से 20 से मी एवं बड़ यूनियन से 10 से मी की उचाई पर तना का औसत व्यास 1.00 से 1.25 से मी के मध्य होना अनिवार्य होगा। बड़ यूनियन के निचले भाग में साइड सूट से मुक्त होना चाहिये। पौधों में साइड ग्राफ्ट, विनीयर ग्राफ्ट के पौधे ही मान्य होंगे। इनार्चिंग पद्धति से ग्राफ्ट किये गये पौधे मान्य नहीं किये जायेंगे। $8'' \times 11''$ की पॉलीथीन बैग।
3	अमरुद ग्राफटेड	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से उचाई $1\frac{1}{2}$ से $2\frac{1}{2}$ फिट होना चाहिये। पौधे के तने का व्यास 0.75 से 1.00 से मी ग्राफ्ट से सायन की उचाई 10 से 15 से मी एवं ग्राफ्ट यूनियन से 10 से मी की उचाई पर तने का व्यास 1.00 से 1.25 से मी एवं ग्राफ्ट यूनियन के निचले भाग में साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये, पौधों में साइड ग्राफ्ट/विनीयर ग्राफ्ट/इनार्चिंग ग्राफ्टिंग पौधे ही मान्य होंगे।
4.	संतरा ग्राफटेड	पौधा बीमारी रहित यथा संभव आदेश में उल्लेखित अनुसार रंगपुर लाइम रूट स्टाक पर ग्राफ्ट किया हुआ होना चाहिये। पौधे की ग्राफ्ट से उचाई 1 से $1\frac{1}{2}$ फिट होना चाहिये। पौधे 70 से 140 पौधों के बण्डल में अथवा मांग अनुसार पैकिंग में होना चाहिये। ग्राफ्ट यूनियन के निचले भाग में साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में उत्पादित पौधे ही मान्य होंगे।
5.	मौसमी (ग्राफ्टेड)	पौधा बीमारी रहित यथा संभव आदेश में उल्लेखित अनुसार रंगपुर लाइम रूट स्टाक पर ग्राफ्ट किया हुआ होना चाहिये। पौधे की ग्राफ्ट से उचाई 1 से $1\frac{1}{2}$ फिट होना चाहिये। पौधे 70 से 140 पौधों के बण्डल में अथवा मांग अनुसार पैकिंग में होना चाहिये। ग्राफ्ट यूनियन के निचले भाग में साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में उत्पादित पौधे ही मान्य होंगे।
6.	अनार गूटी/कलम से	पौधा बीमारी रहित, पौधों की ग्राफ्ट $1\frac{1}{2}$ से $2\frac{1}{2}$ ग्राफिंग/गूटी पद्धति से तैयार किया हुआ 6×8 की पॉलीथीन बैग।


मुख्यमंत्री अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
राजनीकी एवं साइद्य प्रसंस्करण विभाग

 पॉलीथीन


State Director
Director of Horticulture